भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2783
दिनांक 12 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर

पशुपालन उद्यमिता संवर्धन योजना

2783. श्रीमती दर्शना सिंहः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना के अंतर्गत पशुपालन उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रमुख प्रावधान क्या हैं;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत निजी पशु चिकित्सा अस्पतालों, निदान प्रयोगशालाओं और प्रजनन केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा;

(ग) इससे ग्रामीण रोजगार और पशुधन उत्पादकता में क्या लाभ अपेक्षित हैं; और

(घ) इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2026-27 के पैरा 77 में ये घोषणा की कि "ग्रामीण और शहरी सीमा से सटे इलाकों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हम निम्नलिखित तरीकों से पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देंगे: (क) क्रेडिट संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम (ख) पशुपालन से जुड़े व्यवसायों का विस्तार और आधुनिकीकरण (ग) पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री पर केंद्रित एकीकृत मूल्य श्रृंखला के निर्माण को बढ़ावा देना और (घ) पशुपालक किसान उत्पादक संगठनों के गठन को प्रोत्साहित करना।"

इसके साथ ही, बजट घोषणा के पैरा 59 में माननीय वित्त मंत्री ने कहा, "खेती से होने वाली कुल आय में पशुधन का योगदान लगभग 16% है जिसमें गरीब और सीमांत परिवार भी शामिल हैं। पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या में 20,000 से अधिक की बढ़ोतरी करने के लिए, मैं निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा और पैरा-पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पशु चिकित्सा अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाएं और प्रजनन सुविधाएं स्थापित करने के लिए ऋण-संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसमें भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।"

(ख) से (घ) इस योजना के अंतर्गत निजी पशु चिकित्सा अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत फार्म की आय में वृद्धि, उद्यमिता विकास, रोजगार के अवसरों का सृजन और नस्ल विकास होने की उम्मीद है।

वर्ष 2026-27 के दौरान, एकीकृत उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली विस्तृत योजना के अनुमोदन के लिए, व्यय विभाग को व्यय वित्त समिति संबंधी ज्ञापन सौंपा गया है।
